

अनुदान संख्या 31 – राजस्व विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF REVENUE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged -	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	203457,98,00		
		243488,75,00	275423,22,61	+31934,47,61
पूरक	Supplementary	40030,77,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1420,59,36
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	8,73,00		
		17,00,00	6,69,67	-10,30,33
पूरक	Supplementary	8,27,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			53,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹2.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2020 में ₹4003077.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, तथापि, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹3193447.61 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय

2 In the voted portion of the revenue section of the grant although supplementary grant of ₹4003077.00 lakhs was obtained in March, 2020, the expenditure exceeded the sanctioned provision by

₹3193447,61,000 था)। अधिक व्यय का विनियमन संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों की स्वीकृति के जरिए किया जाना अपेक्षित है।

₹3193447.61 lakhs (actual excess was ₹3193447,61,000). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	36730.00		
पू.	S.	1711.00	37829.46	35317.53
पु.	R.	-611.54		-2511.93
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services			
मू.	O.	29970.00		
पू.	S.	1366.00	31196.00	30019.80
पु.	R.	-140.00		-1176.20
मुख्य शीर्ष "2875"	Major Head "2875"			
अन्य उद्योग	Other Industries			
मू.	O.	33640.00		
			32651.23	31157.06
पु.	R.	-988.77		-1494.17

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	19200001.00		
			22440001.00	25609700.00
				+3169699.00
पु.	R.	3240000.00		
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	1040001.00		
पू.	S.	760000.00	1659659.00	1831158.00
पु.	R.	-140342.00		+171499.00

(I) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम तथा एल्कलाइड उद्योग गाजीपुर एल्कलाइड वर्क्स – अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹840.57 लाख का अधिक व्यय (₹2085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एल्कलाइड के उत्पादन के लिए लक्ष्य बढ़ाए जाने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Alkaloid Works - Other Expenditure" - excess of ₹840.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2085.00 lakhs) was due to upward revision of targets for production of alkaloids.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों का अन्य अंतरण/अनुदान" – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – वस्तु तथा सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण" के अंतर्गत – ₹3169700.00 लाख का अधिक व्यय (₹1620000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹11220000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) Under Major Head "3601" - "Other Transfers/Grants to States - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Goods and Service Tax compensation fund" - excess of ₹3169700.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11220000.00 lakhs including supplementary grant of ₹1620000.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति

(III) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature - Transfer to Reserve Funds/Deposits

निधि को अंतरण' के अंतर्गत – ₹101329.00 लाख का अधिक व्यय (₹380000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹900000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वर्ष 2017-18 से संबंधित शेष आईजीएसटी के बंटवारे के लिए उपकर निधि में अधिक निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹443.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय को निम्नलिखित अनुदान बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

(I) ₹153.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – राजस्व विभाग" के अंतर्गत – ₹25088.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1710.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹26798.00 लाख कर दिया गया। तथापि ₹2331.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – सहायता अनुदान, वेतन, किराए, किए गए दौरों तथा स्थापना संबंधी अन्य खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष "2047" – "विदेशी विनियमन का विनियमन – प्रवर्तन निदेशालय" के अंतर्गत – ₹23453.50 लाख के मूल प्रावधान को 1206.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹24659.50 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹565.12 लाख की सीमा तक – कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थापना संबंधी खर्चों के लिए दावों की प्राप्त न होने और शेष राशि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एमटीएनएल को किराए का भुगतान न होने के कारण

Accounts - Transfer to Goods and Service Tax compensation fund" - excess of ₹101329.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹900000.00 lakhs including supplementary grant of ₹380000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to transfer of more funds to cess fund in order to apportion balance IGST pertaining to 2017-18.

(IV) Under one head excess of ₹443.00 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. The above excess was offset by savings as under:-

(I) Provision of ₹153.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Revenue" - the original provision of ₹25088.00 lakhs was augmented to ₹26798.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1710.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2331.00 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards Grants-in-Aid, salaries, rent, tours undertaken and other establishment expenses.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2047" - "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate" - the original provision of ₹23453.50 lakhs was augmented to ₹24659.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1206.00 lakh, which, however, remained unutilized to the extent of ₹565.12 lakhs - due to non-receipt of claims towards establishment related expenses owing to COVID-19

अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति” – ₹520000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹38000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹900000.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹70171.00 लाख की सीमा तक – संघ राज्य क्षेत्रों को वस्तु एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति की कम राशि जारी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय” के अंतर्गत – ₹553.41 लाख की बचत (₹2106.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, स्वदेशी/विदेशी दौरो, किराया, दरों तथा करों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2875” – “अफीम तथा एलक्लाईड उद्योग” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई :-

(का) “नीमच अफीम फैक्ट्री – अफीम की खरीद” – ₹2170.19 लाख की बचत (₹8661.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खरीद के लिए सरकारी अफीम फैक्ट्रियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) “नीमच एलक्लाईड वर्क्स – प्रबंधन” – ₹1092.84 लाख की बचत (₹7175.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयातित कोडिन फोस्फेट की दरों में कमी आने तथा वेतन, चिकित्सा दावों, स्वदेशी/विदेशी दौरो, विज्ञापन तथा प्रचार, व्यावसायिक सेवाओं और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Pandemic and non-payment of rent to MTNL owing to non-finalisation of dues.

(B) Major Head “3602” - “Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislature - Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for revenue loss to Union Territory Government with legislature” - the original provision of ₹520000.00 lakhs was augmented to ₹900000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹380000.00 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹70171.00 lakhs - due to less release of Goods & Services Tax compensation to Union Territories.

(IV) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Goods and Service Tax Council Secretariat” - saving of ₹553.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2106.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, domestic/foreign tours, rent, rates & taxes and other establishment related expenses.

(V) Under Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium” - saving of ₹2170.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8661.80 lakhs) was due to requirement of less funds by Government opium factories towards purchase of opium.

(B) “Neemuch Alkaloids Works - Management” - saving of ₹1092.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7175.00 lakhs) was due to decrease in rates of imported codeine phosphate and requirement of less funds towards salaries, medical claims, domestic/foreign tours, advertisement and publicity, professional services and other establishment related expenses.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹345.03 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1030.33 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹827.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 61 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"	
लोक निर्माण पर	Capital Outlay on	
पूंजीगत परिव्यय	Public Works	
मू.	O.	1.00
पू.	S.	826.00

(I) ₹1277.00 लाख का प्रावधान (₹826.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹827.00 लाख अकेले "अन्य भवन - निर्माण - राजस्व भवन का निर्माण" के अंतर्गत - नई दिल्ली में प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा की वजह से राजस्व भवन को आबंटित भूमि को वापिस लिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹254.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4047" - "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - जीएसटीएन - एसपीवी में निवेश के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते

(VI) Under one head saving of ₹345.03 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1030.33 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹827.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 61 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
------------------------------	----------------------------------------	-------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

827.00	..	-827.00
--------	----	---------

(I) Provision of ₹1277.00 lakhs (including supplementary grant of ₹826.00 lakhs) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹827.00 lakhs alone accounted for under "Other Buildings - Construction - Construction of Rajaswa Bhavan" - due to withdrawal of land allotted for Rajaswa Bhawan on account of proposed Central Vista in New Delhi.

5. The above savings were partly (₹254.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4047" - "Investments in

समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹253.00 लाख था।

Public Sector and Other Undertakings - Investments in GSTN - SPV". Actual excess, however, was ₹253.00 lakhs.

6. मूल्यहास आरक्षित निधि – अफीम और एल्केलाइड फैक्टरियां:-

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहवास लगाने की वाणिज्य के पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्ट्री की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यहवास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के लिए मूल्यहवास आरक्षित निधि का लेखा निम्न प्रकार था :-

6. Depreciation Reserve Fund – Opium and Alkaloid Factories:-

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)

(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works
अथशेष	Opening Balance	12,00,12	14,36,35	9,72,26	26,79,79
प्राप्तियां	Receipts	10,92	26,00	37,00	50,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	35,80	48,30	36,00	1,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balances	12,46,84	15,10,65	10,45,26	28,29,79

7. राष्ट्रीय दवा दुरुपयोग नियंत्रण निधि:-

राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग नियंत्रण निधि की स्थापना “नशीली दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम” 1985 जो 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित हुआ के अंतर्गत हुई थी। निधि की स्थापना भारत के लोक लेखा में सरका/स्वयं सेवी/अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों में अवैध लेनदेन का मुकाबला करने, जागरूकता पैदा करने, पहचान, परामर्श देने, नशे के आदी का उपचार और

7. National Fund for Control of Drug Abuse:-

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the “Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act”, 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness

पुनर्वास सहित विभिन्न तरह से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई थी।

केन्द्र सरकार का प्राप्त राशि (संसद द्वारा विधिवित विनियोग पूरा करने के पश्चात्), अधिनियम के अध्याय V क के अंतर्गत जब्त किसी संपत्ति की बिक्री आय, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान तथा निधि में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय तथा अनुदान के खंड 7 क में समाविष्ट उद्देश्यों के लिए निधि से प्रयुक्त होती है।

वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग नियंत्रक निधि के लेखे निम्नानुसार थे :

generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/ Voluntary /other organisations and institutions.

The amount received for Central Government (after due appropriation met by the Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilised from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

The Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2019-20 was as follows :-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	28,53,84
प्राप्तियां	Receipts	1,70,11
अदायगियां	Disbursements	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	30,23,95